

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी भावली, उदयपुर

प्रार्थी अनीष विपक्षी नीलकण्ठ  
 फिल्ल मुकदमा 88, 188 P.T.P.R. पत्रावली संख्या 49/21 (वाप) त्त

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><u>22/10/24</u> पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी 34.1 साक्ष्यवादी गवाह अनुपस्थित। साक्ष्यवादी के पत्रावली अवसर दिये जाने के पश्चात भी साक्ष्यवादी गवाह उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता वादीगण को आवाज दिया जाता है कि आवाजी पेशी पर साक्ष्यवादी धर्म नहीं करने पर सी.डी. वदम्य खुली जायेगी। पत्रावली वादते साक्ष्यवादी दिनांक <u>21/11/24</u> को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><u>21/11/24</u>                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-साक्ष्यवादी के लिये पौका चाहते है। अतः <u>अतिरिक्त</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>14/11/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) भावली</p>	
	<p><u>14/01/25</u>                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण को निरन्तर आवाजे दिलवाई गईं। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित बहने पर वादीगण का वाह अदम्य हाजरी अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निम्नि सुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर  
(SDO) भावली

